न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर.ए.एस)

अपील संख्या 156 / 2017 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2017 / 00319

उनवानी :–

1. मंशा पत्नी श्री भजनलाल जाति मीना निवासी ग्राम रानौता तहसील नगर जिला भरतपुर।

अपीलांटान————————

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

बनाम

1. चमेली पत्नी रामकिशन जाति मीना निवासी रानौता तहसील नगर जिला भरतपुर राज0।
2. सुमन
3. गल्लो
4. बबली
5. अनिता

} पुत्रीयान पप्पू नाबालिग वली सरपरस्त दादी खुद चमेली पत्नी रामकिशन जाति मीना निवासी रानौता तहसील नगर जिला भरतपुर।

6. रमेश पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी रानौता तहसील नगर जिला भरतपुर।

उत्तरवादी रेस्पोडेन्टान ——————

7. राजेन्द्र पुत्र अमरसिंह निवासी रानौता तहसील नगर जिला भरतपुर।
8. तहसीलदार साहब तहसील नगर जिला भरतपुर
9. श्रीमान् सब रजिस्ट्रार नगर (भरतपुर)
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जालूकी तहसील नगर जरिये शाखा प्रबन्धक।

तरतीवी रेस्पोडेन्टान ——————

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नगर दिनांक 18.04.2017 अन्तर्गत प्रकरण राजस्व संख्या 76 / 2016 शीर्षक चमेली आदि बनाम राजेन्द्र आदि।

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज०)

निर्णय दिनांक 15.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर दिनांक 18.04.2017 प्रस्तुत की। संक्षेप मे अपील के कथन इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। दिनांक 13.01.2017 को पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजी के बाबत् मौका कुर्रे रिर्पोट प्रस्तुत की। जिसमें दर्शित कब्जे काश्त के आधार पर अन्तिम डिक्री बनानी चाहिए थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर भारी त्रृटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो कुर्रे मानचित्र अपने निर्णय व डिक्री के साथ उल्लिखित किये है वो कतई गलत व विपरीत मौका है। विभाजन नियमों 18 से 21 प्रावधानों के विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश व डिक्री खारिज होने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस हेतु अधिवक्ता रैस्पो0 अनुपस्थित। बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई। दौराने बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी की कुर्रो रिपोर्ट विभाजन नियम 18 से 21 की पालना मे तैयार नही की है उक्त रिपोर्ट स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार नही की है। विभाजन प्रस्ताव में उल्लेखित कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री पारित नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर मृतक रामकिशन के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नॉन जोइडंर के दोष से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा रिव्यू पीटीशन प्रस्तुत की, जिसे तहत न्यायालय ने दिनांक 25.10.2017 को वापस कर दिया। उसके पश्चात् उक्त अपील बिना देरी के पेश की। देरी को क्षमा करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 25.10.2017 को प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र विड्रों किये जाने के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के मत मे उचित आधार होने के कारण अपील दायर करने मे विलम्ब को माफ किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न कुर्रे रिपोर्ट से यह विदित है उक्त कुर्रो रिपोर्ट दिनांकित 13.01.2017 पर पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मौके पर बुलाने व मौके के अनुसार विभाजन के कुर्रे बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है। जिसमें मौके के अनुरूप कब्जे का नक्शा नजरी बनाया गया था। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पर पृथक स्याही से विभाजन का नक्शा उल्लेखित किया गया था और उसी विभाजन के नये नक्शे को अपनी अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित किया था। उक्त कुर्रो रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार नही की। अधीनस्थ न्यायालय मे सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

अखिलेश कुमार पिपा
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज0)

न्यायालय ने सभी पक्षकारों के हितों को प्रभावित करने बाबत् अपीलाधीन आदेश पारित किया। अतः न्यायालय के मत यह है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायलय का आदेश दिनांकित 18.04.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का पर्यात अवसर प्रदान कर एवं विभाजन नियम 18 से 21 की विधिवत् पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर प्रकरण निस्तारित करें।

15-03-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15-03-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर